

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 241

दिनांक :- 11.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पवन कुमार शर्मा, विधायक

क्या जल मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा में कॉरोनेशन पिलर में एस. टी.पी. प्लांट है जहां अपजल को संशोधित कर संशोधित जल यमुना में मिला दिया जाता है;	जी हाँ। इसका संशोधित जल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के ड्रेन में छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग कृषक करते हैं और शेष जल यमुना में छोड़ा जाता है।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि हरित क्षेत्र की सिंचाई टैंकरों के माध्यम से की जाती है,	जी हाँ। दिल्ली जल बोर्ड उद्यान विभाग के पास टैंकर है, जो पौधे रोपण के समय और बाद में पानी की उपलब्धता कराता है, केवल उस क्षेत्र में जहाँ पानी की व्यवस्था पाईप लाईन के द्वारा नहीं है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि हरित क्षेत्र की टैंकरों के माध्यम से अनियमित सिंचाई के कारण उद्यान विभाग द्वारा रोपित अधिकतर पेड़-पौधे नियमित सिंचाई के अभाव में सूख कर नष्ट हो जाते हैं; और	जी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड के परिसर /परिसरों के अर्न्तगत उद्यान विभाग पानी की उपलब्धता पाईप लाईन द्वारा या टैंकर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करता है।
(घ)	यदि हाँ, तो क्या सरकार कॉरोनेशन पिलर से पाइप लाइन के जरिये पूरी विधान सभा क्षेत्र में हरित क्षेत्र की सिंचाई किए जाने पर विचार कर रही है?	घ), ड) :- विभिन्न एंजेसी को दिल्ली जल बोर्ड अवजल जल को संशोधित कर आपूर्ति करता है।
(ड.)	यदि हाँ तो कब तक?	

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

निदेशक (प्र. एवं का.)
Director (A & P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D. J. B., Govt. of NCT of Delhi